उद्देश्य

वित्तीय विवरणों के `लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरण के विषय में बैंकों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करना।

वर्गीकरण

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 क के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक दिशानिर्देश।

अधिक्रमण किए गए पिछले दिशानिर्देश

1 जुलाई 2014 के बैंपविवि. बीपी.बीसी. सं. 8/21.04.018/2014-15 द्वारा जारी `वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण - लेखे पर टिप्पणियां' संबंधी मास्टर परिपत्र।

प्रयोज्यता

सभी वाणिज्यिक बैंकों पर (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

संरचना

1	प्रस्तावना
2.1	प्रस्तुति
2.2	न्यूनतम प्रकटीकरण
2.3	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश
2.4	प्रकटीकरण की अपेक्षाएं
3.1	पूंजी
3.2	निवेश
3.2.1	रिपो लेनदेन
3.2.2	एसएलआर से इतर निवेश संविभाग
3.2.3	परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण
3.3	व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव्ज़)
3.3.1	वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)
3.3.2	एक्सचेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़
3.3.3	डेरिवेटिव्ज़ में जोखिम एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

3.4	आस्ति गुणवत्ता
3.4.1	अनर्जक आस्ति
3.4.2	पुनर्रचित खातों के ब्योरे
3.4.3	आस्तियों की पुनर्रचना हेतु प्रतिभूतीकरण/पुनर्रचना कंपनी को बेची गयी वित्तीय आस्तियों का ब्योरा
3.4.4	खरीदी/बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
3.4.5	मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान
3.5	कारोबारी अनुपात
3.6	आस्ति-देयता प्रबंधन - आस्ति और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप
3.7	एक्सपोज़र
3.7.1	स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र
3.7.2	पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र
3.7.3	जोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी एक्सपोज़र
3.7.4	बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल), समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के उल्लंघन के ब्योरे
3.7.5	बेज़मानती अग्रिम
3.8	रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण
4.	लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने `लेखे पर टिप्पणियां' के लिए प्रकटीकरण मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं
4.1	लेखा मानक 5 - पूर्व अवधि मदों का चालू वर्ष के निवल लाभ या हानि पर प्रभाव तथा लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन
4.2	लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण
4.3	लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ
4.4	लेखा मानक 17 - खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग
4.5	लेखा मानक 18 - संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण
4.6	लेखा मानक 21 - समेकित वित्तीय विवरण
4.7	लेखा मानक 22 - आय पर करों के संबंध में लेखा पद्धति
4.8	लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के लिए लेखा पद्धति
4.9	लेखा मानक 24 - परिचालन समाप्त करना
4.10	लेखा मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

4.11	अन्य लेखा मानक
5	अतिरिक्त प्रकटीकरण
5.1	प्रावधान और आकस्मिकताएं
5.2	अस्थायी प्रावधान
5.3	आरक्षित निधि में कमी
5.4	शिकायतों का प्रकटीकरण
5.5	बैंकों द्वारा जारी आश्वासन पत्रों (एलओसी) का प्रकटीकरण
5.6	प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात
5.7	बीमा कारोबार
5.8	जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़रों और एनपीए का संकेंद्रण
5.9	क्षेत्रवार अग्रिम
5.10	अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़
5.11	विदेश स्थित आस्तियाँ, एनपीए और राजस्व
5.12	प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी
5.13	अपरिशोधित पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं
5.14	पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण
5.15	प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण
5.16	क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप
5.17	समूह के भीतर एक्सपोज़र
5.18	जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण
5.19	अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र
6	चलनिधि कवरेज अनुपात
अनुबंध	मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

1. प्रस्तावना

बैंक के वित्तीय विवरणों का उपयोग करनेवालों को आर्थिक निर्णय लेने के लिए इसकी वित्तीय स्थिति तथा कार्य निष्पादन के संबंध में सूचना की आवश्यकता होती है। उन्हें बैंक की चलनिधि और शोधक्षमता में तथा तुलन पत्र में प्रदर्शित आस्तियों और देयताओं तथा तुलन पत्र में शामिल न होनेवाली मदों से संबंधित जोखिम में रुचि होती है। पूर्ण तथा समग्र प्रकटीकरण के लिए कुछ अति उपयोगी सूचना वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में दी जाती है या वह सिर्फ उनमें ही दी जा सकती है। टिप्पणियों और अनुपूरक सूचना का उपयोग ऐसी कुछ मदों को स्पष्ट करने तथा उन्हें प्रलेखित करने में किया जाता है जिन्हें या तो वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किया गया है या जो अन्यथा रिपोर्टिंग संस्था की वित्तीय स्थिति और कार्य निष्पादन को प्रभावित करती हैं। हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में बाजार अनुशासन के मुद्दे पर काफी ध्यान दिया गया है। तथापि, बाजार अनुशासन तभी काम करता है, जब बाजार के प्रतिभागियों को समय पर भरोसेमंद सूचना मिले जिससे वे बैंकों की गतिविधियों और इन गतिविधियों में निहित जोखिमों का आकलन कर सकते हैं। बासल II के अंतर्गत बाजार अनुशासन को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उसके तीन स्तंभों में से इसे एक माना गया है।

2.1 प्रस्तुति

एकरूपता बनाये रखने के लिए `महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश' तथा `लेखे पर टिप्पणियां' क्रमश: अनुसूची 17 और अनुसूची 18 में दर्शायी जानी चाहिए।

2.2 न्यूनतम प्रकटीकरण

कम-से-कम, परिपत्र में दी गयी मदें `लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकट की जानी चाहिए । बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि यदि प्रकटीकरण महत्वपूर्ण हों और बैंक की वित्तीय स्थिति तथा कार्यनिष्पादन को समझने में सहायक हों, तो परिपत्र में की गयी न्यूनतम अपेक्षा के बजाय वे अधिक व्यापक प्रकटीकरण करें। सूची में वर्णित प्रकटीकरणों का उद्देश्य संबंधित विधान या लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के अंतर्गत अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं को बदलना नहीं, अपितु उन्हें परिपूर्ण बनाना है। जहां कहीं संगत हो, बैंक को यथा लागू इस प्रकार की अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए।

2.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

बैंकों को चाहिए कि वे अपने वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियों' के साथ परिचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में लेखांकन नीतियां एक स्थान पर प्रकट करें (अनुसूची 17 में)। सांकेतिक सूची में निम्नलिखित शामिल हैं - लेखांकन का आधार, लेनदेन जिनमें विदेशी मुद्रा शामिल हैं, निवेश-वर्गीकरण, मूल्यांकन आदि, अग्रिम और उनके संबंध में प्रावधान, अचल आस्तियां और मूल्यह्रास, राजस्व निर्धारण, कर्मचारी लाभ, कराधान के लिए प्रावधान, निवल लाभ, आदि ।

2.4 प्रकटीकरण की अपेक्षाएं

बाजार अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में प्रकटीकरण की कुछ अपेक्षाएं विकसित की हैं जिससे बाजार के प्रतिभागियों को पूँजी पर्याप्तता, जोखिम एक्सपोज़र, जोखिम आकलन की प्रक्रिया तथा मुख्य व्यापारिक मापदंडों पर महत्वपूर्ण सूचनाओं का आकलन करने का अवसर प्राप्त होता है जो सतत और समझने योग्य ऐसा प्रकटीकरण ढांचा प्रदान करते हैं जिससे तुलनीयता में वृद्धि होती है। बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के संबंध में जारी किये गये एकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1(एएस1) का अनुपालन करना भी अपेक्षित है। बैंकों के तुलन पत्र और लाभ-हानि लेखे में संशोधन तथा "लेखे पर टिप्पणियां" में किये जानेवाले प्रकटीकरण का क्षेत्र बढ़ाने से प्रकटीकरण में वृद्धि हुई है। तुलन पत्र की 16 विस्तृत अनुसूचियों के अतिरिक्त बैंकों को 'लेखे पर टिप्पणियां' में निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

3.1 पूंजी

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (प्रतिशत)		
ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (प्रतिशत)		
iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (प्रतिशत)		
iv)	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (प्रतिशत)		
v)	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत		
vi)	जुटाई गई ईक्विटी पूंजी राशि		
vii)	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि; जिसमें से सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस): सतत ऋण लिखतें (पीडीआई):		
viii)	टियर 2 पूंजी के रूप में जुटाई गई राशि; जिसमें से ऋण पूंजी लिखतें: अधिमानी शेयर पूंजी लिखतें(सतत संचयी) अधिमानी शेयर (पीसीपीएस)/ भुनाने योग्य गैर संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस)/ भुनाने योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)		

3.2 निवेश

(राशि करोड़ रुपयों में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(1) निवेशों का मूल्य (i) निवेशों का सकल मूल्य (क) भारत में (ख) भारत के बाहर (ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान (क) भारत में (ख) भारत के बाहर (iii) निवेशों का निवल मूल्य (क) भारत में (ख) भारत के बाहर		
(2) निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट-बढ़ (i) अथ शेष (ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (iii) घटाएं : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये / प्रतिलेखन किये आवश्यकता से अधिक प्रावधान (iv) इति शेष		

3.2.1 रिपो लेनदेन (अंकित मूल्य में)

(राशि करोड़ रुपये में)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च की स्थिति के अनुसार बकाया
रिपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां i)सरकारी प्रतिभूतियाँ ii)कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ				
रिवर्स रिपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां i)सरकारी प्रतिभूतियाँ ii) कंपनी ऋण प्रतिभूतियाँ				

3.2.2 एसएलआर से इतर निवेश संविभाग

i) <u>एसएलआर से इतर निवेशों का निर्गमकर्ता संघटन</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी प्लेसमेंट की राशि	`निवेश श्रेणी से नीचे' प्रतिभूतियों की राशि	`अनिर्धारित' प्रतिभूतियों की राशि	`गैर- सूचीबद्ध 'प्रतिभूतियों' की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i)	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम					
(ii)	वित्तीय संस्थाएं					
(iii)	बैंक					
(iv)	निजी कार्पोरेट					
(v)	सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उपक्रम					
(vi)	अन्य					
(vii)	मूल्यह्रास के संबंध में धारित प्रावधान		XXX	XXX	XXX	XXX
	जोड़*					

टिप्पणी : (1) *स्तंभ 3 के अंतर्गत जोड़ तुलन पत्र की अनुसूची 8 की निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत शामिल निवेशों के जोड़ से मेल खाना चाहिए :

क) शेयर

ख) डिबेंचर और बांड

ग) सहायक संस्थाएं/संयुक्त उद्यम

घ) अन्य

(2) ऊपर स्तंभ 4, 5, 6 एवं 7 के अंतर्गत सूचित राशि एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती है ।

ii) <u>अनर्जक एसएलआर से इतर निवेश</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
अथ शेष		
1 अप्रैल से वर्ष के दौरान जोड़		
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी		
इति शेष		
कुल धारित प्रावधान		

3.2.3 परिपक्वता तक धारित श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण

यदि परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में/से बिक्री तथा अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक हो तो बैंकों को एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के बाजार मूल्य का प्रकटीकरण करना चाहिए और बाजार मूल्य की तुलना में अतिरिक्त बही मूल्य को दर्शाना चाहिए जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। यह प्रकटीकरण बैंकों के लेखा परीक्षित वार्षिक विवरणों के 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत किया जाना अपेक्षित है। ऊपर उल्लिखित 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा से बाहर रखा जाएगा-

(क) बैंकों को लेखा वर्ष के प्रारंभ में अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से एचटीएम श्रेणी में/से जिन प्रतिभूतियों का एकबारगी अंतरण करने की अनुमति दी गई है

(ख) पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) नीलामी के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को विक्रय

(ग) भारत सरकार द्वारा बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद

(घ) एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर प्रतिभूतियों की उच्चतम सीमा में कमी के परिणामस्वरूप जनवरी, जुलाई तथा सितंबर 2015 की शुरुआत में एएफएस/एचएफटी को प्रतिभूतियों का विक्रय/अंतरण जो लेखा वर्ष अर्थात अप्रैल 2015 की शुरुआत में अंतरण हेतु दी गई अनुमति के अतिरिक्त होगा।

3.3 व्युत्पन्नी (डेरिवेटिव)

3.3.1 वायदा दर करार/ब्याज दर अदला-बदली (स्वैप)

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i) अदला-बदली करारों का आनुमानिक मूलधन		
(ii)यदि प्रतिपक्ष (काउंटर पार्टी) करारों के अंतर्गत निर्धारित अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते तो होने वाली हानियां		
(iii) अदला-बदली में शामिल होने पर बैंकों द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक जमानत		
(iv) अदला-बदली से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण $		
(v) अदला-बदली बही का उचित मूल्य @		

टिप्पणी: ऋण तथा बाजार जोखिम पर सूचना सहित अदला-बदली की प्रकृति और शर्तों तथा अदला-बदली के अभिलेखन के लिए अपनायी गयी लेखा नीतियों को भी प्रकट करना चाहिए।

$ संकेद्रण के उदाहरण विशेष उद्योगों में ऋणादि जोखिम अथवा अत्यधिक गतिशील कंपनियों के साथ अदला-बदली (स्वैप) हो सकते हैं।

@ यदि अदला-बदली विशेष आस्तियों, देनदारियों या प्रतिबद्धताओं से जुड़ी हुई हैं, तो तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार बैंक जो अनुमानित राशि प्राप्त करेगा या अदला-बदली करारों को समाप्त करने के लिए भुगतान करेगा, वह अनुमानित राशि उचित मूल्य होगी। लेनदेन अदला-बदली के लिए उचित मूल्य उसका बाज़ार मूल्य होगा।

3.3.2 एक्सचेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	*विवरण*	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i)	वर्ष के दौरान एक्सचेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)		
(ii)	31 मार्च ------की स्थिति के अनुसार बकाया एक्सचेंज लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)		
(iii)	एक्सचेंज लेनदेन वाले बकाया तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है के ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत-वार) क) ख) ग)		
(iv)	एक्सचेंज लेनदेन वाले बकाया तथा जो "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है के ब्याज दर डेरिवेटिव्ज़ का बाज़ार मूल्य (मार्क-टू-मार्केट) (लिखत-वार) क) ख) ग)		

3.3.3 डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोजर संबंधी प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकों को, डेरिवेटिव के संबंध में अपनी जोखिम प्रबंध नीतियों की, विशेषकर किस सीमा तक डेरिवेटिव का उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित जोखिम क्या हैं और इससे पूरे होनेवाले व्यावसायिक प्रयोजनों की चर्चा करनी चाहिए । इस चर्चा में निम्नलिखित भी शामिल हों :

क) डेरिवेटिव के व्यापार में जोखिम प्रबंध के लिए संरचना और संगठन,

ख) जोखिम प्रबंध, जोखिम रिपोर्ट करना तथा जोखिम निगरानी की प्रणालियों का व्यप्ति और प्रकृति,

ग) हेज़िग तथा/अथवा जोखिम कम करने के लिए नीतियां तथा प्रतिरक्षा (हेज)/जोखिम कम करने वाले प्रभावों की निरंतरता की निगरानी करने की विधियां,

घ) प्रतिरक्षा (हेज) तथा नॉन हेज लेनदेनों के अभिलेखन के लिए लेखा नीति; आय निर्धारण, प्रीमियम और डिस्काउंट्स, बकाया अनुबंधों का मूल्यांकन, प्रावधानीकरण तथा ऋण जोखिम कम करना ।

मात्रात्मक प्रकटीकण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	*विवरण*	*चालू वर्ष*		*पिछला वर्ष*	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	*ब्याजदर व्युत्पन्नी*	*मुद्रा व्युत्पन्नी*	*ब्याजदर व्युत्पन्नी*
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन राशि)				
	क) प्रतिरक्षा के लिए				
	ख) लेनदेन के लिए				
(ii)	बाज़ार दर से स्थिति				
	क) आस्ति (+)				
	ख) देयता (-)				
(iii)	ऋण एक्सपोज़र[1]				
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) प्रतिरक्षा व्युत्पन्न पर				
	ख) लेनदेन व्युत्पन्न पर				
(v)	वर्ष के दौरान देखे गये 100*पीवी01 का अधिकतम तथा न्यूनतम				
	क) प्रतिरक्षा पर				
	ख) लेनदेन पर				

[1] भारतीय रिज़र्व बैंक के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार बैंक डेरिवेटिव उत्पादों के लिए क्रेडिट एक्सपोजर की गणना हेतु करेंट एक्सपोजर पद्धति अपना सकते हैं।

3.4 **आस्ति गुणवत्ता**

3.4.1 **अनर्जक आस्ति**

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्ति (%) (ii) अनर्जक आस्तियों (सकल) का उतार-चढ़ाव (क) अथ शेष (ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (ग) वर्ष के दौरान कमी (घ) इति शेष		
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव (क) अथ शेष (ख) वर्ष के दौरान वृद्धि (ग) वर्ष के दौरान कमी (घ) इति शेष (iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर) (क) अथ शेष (ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान (ग) अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना /पुनरांकन (घ) इति शेष		

3.4.2. पुनर्रचित खातों के ब्योरे

अनुबंध

पुनर्रचित खातों का प्रकटीकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	पुनर्रचना की श्रेणी →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्रचना के अंतर्गत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण → / ब्योरे ↓		मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अव-मानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पुनर्रचित खाते (आरंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया शेष																				
		उन पर प्रावधान																				
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्रचित अग्रिम	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया शेष																				
		उन पर प्रावधान																				
4	पुनर्रचित मानक खाते जिन पर वित्तीय वर्ष के समापन पर उच्चतर प्रावधान और/अथवा जोखिम भार लागू नहीं रह गया है और	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया शेष																				
		उन पर प्रावधान																				

	इसलिए जिन्हें अगले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पुनर्रचित मानक अग्रिमों के रूप में दर्शाने की जरूरत नहीं है।																					
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की श्रेणी को अवनत करना	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों के राइट-ऑफ	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पुनर्रचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या																				
		बकाया राशि																				
		उन पर प्रावधान																				

* उन मानक पुनर्रचित अग्रिमों से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर जिनके लिए उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो तो) की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

अनुदेश - उक्त फार्मेट में प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन अपेक्षित हैः

(i) सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली तथा पुनर्रचना की अन्य श्रेणियों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) उक्त प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, उनके मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों को, अर्थात् मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

iii) 'मानक' पुनर्रचित खातों के अंतर्गत ऐसे खातों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है जिनके संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो कि उनमें अब कोई अन्तर्निहित ऋण समस्या नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, ऐसे खातों के लिए जिनमें अंतर्निहित ऋण समस्या नहीं है वस्तुनिष्ठ मानदंड निम्न प्रकार से हैः

(क) जहां तक मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों का संबंध है, ऐसे खातों में अंतर्निहित ऋण समस्या के कारण, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे मानक खातों में पुनर्रचना की तिथि से पहले दो वर्षों में किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान से उच्चतर सामान्य प्रावधान करें। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर अधिस्थगन की स्थिति में, ऐसे अग्रिमों पर स्थगन की अवधि में तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक उच्चतर सामान्य प्रावधान लागू होगा।

(ख) इसी क्रम में, पुनर्रचित मानक अनरेटेड कारपोरेट एक्सपोजर तथा आवास ऋण को भी 25 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त जोखिम भार दिया जाता है ताकि ये अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर भाग को दर्शाएं जो ऐसी संस्थाओं में अप्रकट तौर पर मौजूद रहते हैं (देखें 'पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और बाजार अनुशासन - नई पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन पर दिनांक 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07 के पैराग्राफ 5.8.3 और बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश पर दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 76/21.04.0132/2008-09 के पैराग्राफ 4 से क्रमशः)।

(ग) पूर्वोक्त [(क) तथा (ख)] अतिरिक्त/उच्चतर प्रावधान तथा जोखिम भार निर्धारित अवधि के बाद तब लागू नहीं रह जाते हैं जब उनका कार्य निष्पादन पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है। तथापि उचित मूल्य में आई कमी को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि के अनुसार आकलित करना होगा तथा यथोपेक्षित प्रावधान करने होंगे।

(घ) पुनर्रचित खातों की प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अवमानक तथा संदिग्ध (अनर्जक) परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों को जब मानक श्रेणी खातों के रूप में अपग्रेड कर दिया जाता है तो उन पर भी अपग्रेड होने की तिथि से पहले वर्ष तक अन्यथा मानक खातों के लिए अपेक्षित प्रावधान से उच्चतर सामान्य प्रावधान लागू होगा। यदि खाते का कार्य निष्पादन पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो तो यह उच्चतर प्रावधान अपग्रेड होने की तिथि से एक वर्ष के बाद लागू नहीं रह जाता है। तथापि उचित मूल्य में आई कमी को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि के अनुसार आकलित करना होगा तथा यथोपेक्षित प्रावधान करने होंगे।

(ङ) ऊपर निर्दिष्ट अवधि के दौरान यदि एक बार पुनर्रचित मानक अग्रिमों पर उच्चतर प्रावधान एवं/अथवा जोखिम भार (लागू होने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए के अनुसार) संतोषजनक प्रदर्शन के कारण वापस सामान्य

स्तर पर आ जाते हैं, तो ऐसे अग्रिमों के संबंध में बैंकों से अब यह अपेक्षित नहीं रह जाएगा कि वे उन्हें अपने वार्षिक तुलन-पत्र में "खातों के संबंध में टिप्पणियां" में पुनर्रचित मानक खातों के रूप में प्रकट करें। तथापि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा पुनर्रचित खातों के उचित मूल्य में आयी ऐसी कमी के लिए पुनर्रचित खातों पर प्रावधान करना जारी रखा जाना चाहिए।

(iv) इन प्रकटीकरणों में पुनर्रचित एनपीए खातों के अपग्रेडेशन तथा अवनति दोनों की स्थिति में श्रेणी के भीतर होने वाली प्रगति-अवनति को भी दर्शाया जाना चाहिए। ये प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों में वृद्धि, अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन, राइट ऑफ इत्यादि के कारण होने वाली प्रगति-अवनति को दर्शायेंगे।

(v) पुनर्रचित खातों की स्थिति प्रकट करते समय बैंकों के लिए उन उधारकर्ताओं के पुनर्रचित भाग या सुविधा के साथ-साथ सभी खातों/सुविधाओं में कुल बकाया रकम को प्रकट करना अनिवार्य है जिनके खाते पुनर्रचित किए गए हैं। इसका मतलब है कि किसी उधारकर्ता के किसी एक खाते/सुविधा की पुनर्रचना की गई हो तो भी, बैंक को उस खास उधारकर्ता के सभी खातों/सुविधाओं से संबंधित समस्त बकाया रकम को दर्शाना चाहिए।

(vi) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन (प्रकटीकरण फार्मेट में क्रम सं. 3) का तात्पर्य है 'पुनर्रचित एनपीए' का 'अवमानक या संदिग्ध श्रेणी', जैसा भी मामला हो, से मानक आस्ति वर्गीकरण में प्रस्थान। इन पर समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले 'निर्धारित अवधि' के दौरान उच्चतर प्रावधान और/अथवा जोखिम भार लागू होंगे। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रस्थान को संबंधित श्रेणी में क्रमशः (-) तथा (+) प्रतीकों से दर्शाया जाएगा।

(vii) श्रेणी में से सामान्य मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्रचित मानक अग्रिमों के प्रस्थान (प्रकटीकरण फार्मेट में क्रम सं. 4) को "मानक" स्तंभ में (-) चिह्न द्वारा दर्शाया जाएगा।

(viii) एक श्रेणी से दूसरी निम्न श्रेणी में प्रस्थान संबंधित श्रेणियों में (-) तथा (+) प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाएगा।

(ix) अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन तथा राइट ऑफ अपने मौजूदा आस्ति वर्गीकरणों से हैं।

(x) सभी प्रकटीकरण मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के आधार पर हैं न कि 'पुनर्रचना के पूर्व के आस्ति वर्गीकरण' के आधार पर।

(xi) मौजूदा पुनर्रचित खाते के लिए अतिरिक्त / नयी मंजूरियों को 'वर्ष के दौरान की गयी पुनर्रचना' पर क्रम सं 2 पर इस फुटनोट के साथ दिखाया जा सकता है कि क्रम सं.2 के अंतर्गत शामिल रु. XXX करोड़ (खातों की संख्या और प्रावधान) मौजूदा पुनर्रचित खातों में अतिरिक्त / नयी मंजूरी है। इसी तरह, पुनर्रचित खातों की मात्रा में कटौती को एक फुटनोट के साथ क्रम सं 6 पर 'वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए पुनर्रचित खाते' के अंतर्गत दर्शाया जा सकता है तथा फुटनोट में दिखाया जा सकता है कि इसमें बिक्री / वसूली के माध्यम से मौजूदा पुनर्रचित खातों से रु. xxx (खातों की संख्या और प्रावधान) की कटौती भी शामिल है।

(xii) 31 मार्च की स्थिति के लिए वित्तीय वर्ष का अंतिम शेष का, 1 अप्रैल की स्थिति के लिए वित्तीय वर्ष का प्रारंभिक शेष + मौजूदा पुनर्रचित खाते के लिए अतिरिक्त /नयी मंजूरियों को शामिल करते हुए 'वर्ष के दौरान की गयी पुनर्रचना' + आस्तियों की श्रेणियों में परस्पर विचरण के लिए समायोजन - पुनर्रचित मानक अग्रिम जिसमें उच्च जोखिम भारिता और/या प्रावधान नहीं है - बट्टे खाते में डालना/ बिक्रि / वसूली के कारण कटौती, आदि के साथ अंकगणितीय तुलन होना चाहिए। यद्यपि, कुछ अप्रत्याशित / किसी अन्य कारण से, अंकगणितीय तुलन नहीं होता है, तो अंतर का समाधान किया जाना चाहिए तथा फुटनोट में उसका स्पष्टिकरण दिया जाना चाहिए।

3.4.3 आस्तियों की पुनर्रचना हेतु प्रतिभूतीकरण / पुनर्रचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

क. विक्रय का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) खातों की संख्या (ii) एस सी/आर सी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर) (iii) कुल प्रतिफल (iv) पिछले वर्षों में अंतरित किए गए खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल (v) निवल बही मूल्य की तुलना में कुल लाभ /हानि		

बैंकों को अपने एनपीए का उचित मूल्य तुरंत वसूल करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री पर प्रावधान के अधिशेष को, यदि विक्रय मूल्य की रकम निवल बही मूल्य (एनबीवी) की तुलना में अधिक हो तो, अपने लाभ हानि लेखे में उसी वर्ष में प्रति प्रविष्ट(रिवर्स) कर सकते हैं जिसमें ऐसी रकम प्राप्त हुई है। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के परिणामस्वरूप लाभ हानि लेखे में प्रति प्रविष्ट किए गए अधिशेष प्रावधान की राशि को बैंक के वित्तीय विवरणों में 'लेखों पर टिप्पणियां' शीर्ष के तहत प्रकट किया जाना चाहिए।

एनपीए की शीघ्र बिक्री के लिए प्रोत्साहन के रूप में, यदि विक्रय मूल्य एनबीवी से कम हो तो, बैंक किसी भी प्रकार के घाटे, को दो वर्ष की अवधि के दौरान विभाजित (स्प्रेड ओवर) कर सकते हैं। तथापि, घाटे के विभाजन (स्प्रेड ओवर) की यह सुविधा केवल 31 मार्च 2016 तक बेचे गए एनपीए के लिए ही उपलब्ध होगी और यह 'लेखे पर टिप्पणियों' में आवश्यक प्रकटीकरणों के अधीन होगी।

ख. प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य के ब्योरे

प्रतिभूति रसीदों में निवेश के बही मूल्य के ब्योरे निम्नानुसार प्रकट किए जाने चाहिए:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(i) बैंक द्वारा आधार (अंडरलाईंग) रूप में बेची गई, अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		
(ii) अन्य बैंकोंबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा-गैर/वित्तीय संस्थाओं/ आधार (अंडरलाईंग) रूप में बेची गई, अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		
कुल		

3.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे

जो बैंक अन्य बैंकों से अनर्जक वित्तीय आस्तियां खरीदते/ बेचते हैं उन्हें अपने तुलन पत्रों में 'लेखे पर टिप्पणियों' में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

क. *<u>खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे</u>*

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		
2. (क) इनमें से, वर्ष के दौरान पुनर्रचित खातों की संख्या		
(ख) कुल बकाया		

ख. <u>बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे:</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1. बेचे गये खातों की संख्या		
2. कुल बकाया		
3. प्राप्त कुल प्रतिफल		

3.4.5 मानक आस्तियों संबंधी प्रावधान

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान		

टिप्पणी : मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधानों को सकल अग्रिमों में से घटाने की आवश्यकता नहीं है परंतु उन्हें तुलनपत्र की अनुसूची सं. 5 में `अन्य देयताएं तथा प्रावधान-अन्य' के अंतर्गत `मानक आस्तियों हेतु प्रावधान' के रूप में अलग से दर्शाया जाए।

3.5 कारोबारी अनुपात

	विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(i)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय **$**		
(ii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय		
(iii)	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ **$**		
(iv)	आस्तियों पर प्रतिफल @		
(v)	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां तथा अग्रिम) # (करोड़ रुपये में)		
(vi)	प्रति कर्मचारी लाभ (करोड़ रुपये में)		

$ वित्तीय वर्ष के 12 महीनों के दौरान बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के अंतर्गत फार्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए अनुसार कुल आस्तियों (संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर) के औसत के रूप में कार्यशील निधियों की गणना की जाए।

@ `आस्तियों पर प्रतिफल'औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् संचित हानियों, यदि कोई हों, को छोड़कर आस्तियों का जोड़) के संदर्भ में होगा।

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा व अग्रिम) की गणना हेतु अंतरबैंक जमाराशियों को छोड़ दिया जाए।

3.6 आस्ति-देयता प्रबंधन-

<u>आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप</u>

(राशि करोड़ रुपये में)

	दिन **1**	**2** से **7** दिन तक	**8** से **14** दिन तक	**15** से **28** दिन तक	**29** दिन से **3** माह तक	**3** माह से अधिक तथा **6** माह तक	**6** माह से अधिक तथा **1** वर्ष तक	**1** वर्ष से अधिक तथा **3** वर्ष तक	**3** वर्ष से अधिक तथा **5** वर्ष तक	**5** वर्ष से अधिक	कुल
जमा											
अग्रिम											
निवेश											
उधार											
विदेशी मुद्रा आस्तियां											
विदेशी मुद्रा देयताएं											

3.7 एक्सपोज़र

3.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में एक्सपोज़र

(राशि करोड़ रुपये में**)**

	श्रेणी	***चालू वर्ष***	***पिछला वर्ष***
क)	*प्रत्यक्ष एक्सपोज़र* (i) आवासीय बंधक आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता द्वारा अधिकार में ली गयी है या ली जाएगी या भाड़े पर दी गयी है, के बंधक द्वारा पूर्णत: जमानती उधार; (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम के अन्तर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र अलग-अलग आवासीय ऋणों को पृथक दर्शाया जाए) (ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा - वाणिज्यिक स्थावर संपदा (कार्यालय भवन; फुटकर स्थान, बहु उद्देशीय वाणिज्य परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदारों का वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदाम स्थान, होटल, भूमि अर्जन, विकास और निर्माण आदि) पर बंधक द्वारा जमानती उधार। निवेश में गैर-निधिक आधारित (एन एफ बी) सीमाएं भी शामिल होंगी। (iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश और अन्य जमा प्रतिभूतिकृत निवेश (एक्सपोज़र) क. आवासीय ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
ख)	*अप्रत्यक्ष निवेश (एक्सपोज़र)* राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के संबंध में निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित निवेश		
स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोज़र			

3.7.2 **पूंजी बाज़ार में एक्सपोज़र**

(राशि करोड़ रुपये में**)**

	विवरण	***चालू वर्ष***	***पिछला वर्ष***
(i)	ईक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में प्रत्यक्ष निवेश जिनकी मूल निधि पूरी तरह से कंपनी ऋण में निवेश नहीं की जाती है;		

	विवरण	*चालू वर्ष*	*पिछला वर्ष*
(ii)	शेयरों (आइपीओ / इएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों, ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों में निवेश हेतु व्यक्तियों को शेयरों /बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या निर्बंध आधार पर अग्रिम;		
(iii)	किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहां शेयरों में परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;		
iv)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए उस सीमा तक अग्रिम जिस सीमा तक वह शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों की समपार्श्विक जमानत द्वारा जमानत प्राप्त है अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों /ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों से भिन्न प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूर्ण जमानत प्रदान नहीं करती;		
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती तथा गैर-जमानती अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से दी गयी गारंटियां		
(vi)	कंपनियों को संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनी की ईक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूति की जमानत पर या निर्बंध आधार पर मंजूर ऋण;		
vii)	संभावित ईक्विटी प्रवाहों/निर्गमों की जमानत पर कंपनियों को पूरक ऋण ;		
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या ईक्विटी उन्मुख म्युच्युअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संदर्भ में बैंकों द्वारा किये गये हामीदारी वायदे;		
(ix)	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए स्टॉक ब्रोकरों का वित्तपोषण ;		
(x)	जोखिम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के सभी एक्सपोज़र		
	पूंजी बाज़ार में कुल एक्सपोज़र		

सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित देयताओं की पुनर्रचना के लिए, ऋणदाताओं को उनकी हानि/त्याग)निवल वर्तमान मूल्य के अनुसार खाते के उचित मूल्य में कमी (के लिए मौजूदा विनियमों और सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन कंपनी की इक्विटी पहले ही जारी करके आरंभ से ही भरपाई की जा सकती है। यदि ऐसे इक्विटी शेयरों के अर्जन के कारण मौजूदा विनियामक पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक एक्सपोजर हो जाता है तो वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणी' में उसका प्रकटन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, बैंकों को रणनीतिक ऋण पुनर्रचना के एक भाग के रूप में ऋण के इक्विटी के रूप में परिवर्तन के ब्यौरे अलग से प्रकट करने चाहिए, जिनको सीएमई सीमा से छूट प्राप्त है।

3.7.3 **जोखिम श्रेणी-वार देश संबंधी एक्सपोज़र**

(राशि करोड़ रुपये में**)**

*जोखिम श्रेणी**	*मार्च..... (चालू वर्ष) को एक्सपोज़र (निवल)*	*मार्च..... (चालू वर्ष) को धारित प्रावधान*	*मार्च..... (पिछले वर्ष) को एक्सपोज़र (निवल)*	*मार्च..... (पिछले वर्ष) को धारित प्रावधान*
महत्वपूर्ण नहीं				
निम्न				
सामान्य				
उच्च				
अति उच्च				
प्रतिबंधित				
ऋण रहित				
कुल				

* जब तक बैंक आंतरिक रेटिंग प्रणाली नहीं अपनाते तब तक बैंक देश संबंधी जोखिम निवेश के लिए वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के प्रयोजन हेतु भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (इसीजीसी) द्वारा अपनाये जाने वाले सात श्रेणी के वर्गीकरण का प्रयोग कर सकते हैं। इसीजीसी अनुरोध करने पर बैंकों को उनके देश संबंधी वर्गीकरण की तिमाही अद्यतन स्थिति प्रदान करेगा और अंतरिम अवधि में देश संबंधी वर्गीकरण में अचानक होनेवाले प्रमुख परिवर्तनों के बारे में सभी बैंकों को सूचित करेगा।

3.7.4 बैंक द्वारा एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) के उल्लंघन के ब्योरे

वर्ष के दौरान जहां बैंक ने विवेकपूर्ण एक्सपोज़र सीमाओं से अधिक ऋण दिया हो वहां वार्षिक वित्तीय विवरणों के `लेखे पर टिप्पणियां' में बैंक को उचित प्रकटन करना चाहिए। स्वीकृत सीमाओं अथवा समग्र बकाया को, जो भी अधिक हो, निवेश सीमा के निर्धारण और प्रकटन के प्रयोजन के लिए गणना में शामिल किया जाएगा।

3.7.5 बेज़मानती अग्रिम

पारदर्शिता को बढ़ाने की दृष्टि से तथा बैंकों के तुलनपत्र की अनुसूची 9 में बेज़मानती अग्रिमों की सही अभिव्यक्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नानुसार सूचित किया जाता है :

क) प्रकाशित तुलनपत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए बेज़मानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक क्षेत्र की परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपार्श्विक के रूप में जिन अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों पर बैंकों का ऋण भार सृजित किया गया हो, उन्हें मूर्त जमानत नहीं माना जाना चाहिए। अत: ऐसे अग्रिमों को बेजमानती माना जाना चाहिए।

ख) बैंकों को ऐसे अग्रिमों की कुल राशि भी प्रकट करनी चाहिए जिनके लिए अधिकार, लाइसेन्स, प्राधिकार आदि पर ऋण भार सृजित करने जैसी अमूर्त जमानत ली गई हो तथा ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करना चाहिए। यह सूचना `लेखे पर टिप्पणी' में अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए। इससे इन ऋणों को पूर्णत: बेजमानती ऋणों से अलग दर्शाया जा सकेगा।

3.8 रिज़र्व बैंक द्वारा लगाये गये दंडों का प्रकटीकरण

वर्तमान में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4) के प्रावधान के अंतर्गत इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की किसी अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन न करने के लिए, इस अधिनियम के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश, नियम अथवा शर्त के उल्लंघन के लिए वाणिज्य बैंक पर दंड लगाने का अधिकार रिज़र्व बैंक को है। विनियामक द्वारा लगाये गये दंडों के प्रकटन के संबंध में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बैंक पर लगाये गये दंडों के ब्योरे सार्वजनिक माध्यम (पब्लिक डोमेन) पर देना निवेशकों तथा जमाकर्ताओं के हित में होगा। इसके अलावा निरीक्षण रिपोर्टों अथवा अन्य प्रतिकूल निष्कर्षों के आधार पर की गयी तीखी टिप्पणियों अथवा निदेशों को भी सार्वजनिक माध्यम पर रखा जाना चाहिए। दंड को तुलन पत्र के `लेखे पर टिप्पणियां' में भी प्रकट किया जाना चाहिए।

4. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाएं जहां भारतीय रिज़र्व बैंक ने `लेखे पर टिप्पणियां' के लिए प्रकटीकरण मदों के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं:

4.1 लेखा मानक 5 - पूर्व अवधि मदों का चालू वर्ष के निवल लाभ या हानि पर प्रभाव तथा लेखा संबंधी नीतियों में परिवर्तन

चूँकि बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत फार्म बी में निर्धारित लाभ-हानि लेखे के फार्मेट में चालू वर्ष के लाभ तथा हानि पर पूर्व अवधि मदों के प्रभावों के प्रकटन के लिए विशेष रूप में अपेक्षा नहीं की गयी है, अत: ऐसे प्रकटन, जहां-जहां अभीष्ट हो, तुलनपत्र के लेखे पर टिप्पणियों में किये जाएं।

4.2 लेखा मानक 9 - राजस्व निर्धारण

इस मानक के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि `लेखा संबंधी नीतियों का प्रकटन' (एएस 1) के संबंध में लेखा मानक 1 द्वारा अपेक्षित प्रकटन के अलावा किसी उद्यम द्वारा उन परिस्थितियों को भी प्रकट करना चाहिए जिनमें महत्वप्êर्ण अनिश्चितताओं के समाधान होने तक राजस्व निर्धारण आस्थगित किया गया है ।

4.3 लेखा मानक 15 - कर्मचारी लाभ

आईसीएआई द्वारा जारी `कर्मचारी लाभ' एएस **15 (**संशोधित**)**के तहत विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का बैंक अनुसरण करें।

4.4 लेखा मानक 17 - खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग

उक्त लेखा मानक का अनुपालन करते समय, बैंकों को निम्नलिखित को अपनाना होगा :

क) व्यवसाय खंड को सामान्यत: मुख्य रिपोर्टिंग फॉर्मेट तथा भौगोलिक खंड को अनुषंगी रिपोर्टिंग फॉर्मेट समझा जाए।

ख) व्यवसाय खंड होंगे `राजकोष', `कारपोरेट/थोक बैंकिंग', `खुदरा बैंकिंग' और `अन्य बैंकिंग परिचालन'।

ग) `देशी' तथा `अंतरराष्ट्रीय' खंड, प्रकटीकरण के लिए भौगोलिक खंड होंगे।

घ) बैंक खंडों के बीच व्यय के विनियोजन के लिए तर्कसंगत तथा सुसंगत आधार पर अपनी खुद की पद्धतियां अपना सकते हैं।

<u>लेखा मानक 17- खंड (सेगमेंट) रिपोर्टिंग के अंतर्गत प्रकटीकरण के लिए फॉर्मेट</u>

भाग क - व्यवसाय खंड

(राशि करोड़ रुपये में)

व्यवसाय खंड →	राजकोष		कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन		कुल	
विवरण ↓	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व										

परिणाम										
विनियोजित न किए गए व्यय										
परिचालन लाभ										
आय कर										
असाधारण लाभ / हानि										
निवल लाभ										
अन्य जानकारी										
खंड आस्तियां										
विनियोजित न की गयी आस्तियां										
कुल आस्तियां										
खंड देयताएं										
विनियोजित न की गयी देयताएं										
कुल देयताएं										

टिप्पणी : शेड किए गए भाग में कोई प्रकटीकरण न किया जाए।

भाग ख - भौगोलिक खंड

(राशि करोड़ रुपये में)

	देशी		***अंतरराष्ट्रीय***		***कुल***	
	वर्तमान वर्ष	*पिछला वर्ष*	*वर्तमान वर्ष*	*पिछला वर्ष*	*वर्तमान वर्ष*	*पिछला वर्ष*
राजस्व						
आस्तियां						

4.5 लेखा मानक 18 - संबद्ध पार्टी प्रकटीकरण

यह मानक संबद्ध पार्टी संबंधों तथा रिपोर्टिंग उद्यम और उससे संबद्ध पार्टियों के बीच लेनदेनों को रिपोर्ट करने के लिए लागू किया जाता है। सामान्य स्पष्टीकरण (जीसी) 2/2002 के एक भाग के रूप में आइसीआइए द्वारा संस्तुत निदर्शी प्रकटीकरण फॉर्मेट को बैंकों हेतु उपयुक्त बनाने के लिए उचित रूप से आशोधित किया गया है। एएस 18 के लिए बैंकों द्वारा प्रकटीकरण का निदर्शी फॉर्मेट नीचे प्रस्तुत है :

लेखा मानक 18 - संबद्ध पार्टी प्रकटीकरणों के लिए फॉर्मेट

एएस 18 के पैराग्राफ 23 तथा 26 द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों की पद्धति नीचे दी गयी है। यह नोट किया जाए कि फॉर्मेट परिपूर्ण नहीं है बल्कि केवल निदर्शी है।

(राशि करोड़ रुपये में)

मद / संबंधित पार्टी	**मूल कंपनी (स्वामित्व या नियंत्रण के अनुसार)**	**अनुषंगी कंपनियां**	**सहयोगी / संयुक्त उद्यम**	**मुख्य प्रबंधन कार्मिक @**	**मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार**	**कुल**
उधार #						
जमाराशि #						
जमाराशियों का नियोजन						
अग्रिम #						
निवेश #						
गैर-निधिक वचनबद्धताएं						
उपयोग में लायी गयी पट्टादायी/एचपी व्यवस्थाएं #						
प्रदान की गयी पट्टादायी / एचपी व्यवस्थाएं#						
अचल आस्तियों की खरीद						
अचल आस्तियों की बिक्री						
प्रदत्त ब्याज						
प्राप्त ब्याज						
सेवाएं प्रदान करना *						
सेवाएं प्राप्त करना *						
प्रबंधन संविदाएं *						

टिप्पणी :जहां संबद्ध पार्टी की किसी भी श्रेणी में केवल एक ही कंपनी है, वहां बैंकों को उस संबद्ध पार्टी के संबंध में, उस संबद्ध पार्टी के साथ के रिश्ते के अलावा कोई ब्यौरे प्रकट करना आवश्यक नहीं है ।

@ बोर्ड के पूर्णकालिक निदेशक तथा भारत में विदेशी बैंकों की शाखाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी

वर्ष के अंत में बकाया शेष तथा वर्ष के दौरान अधिकतम को प्रकट किया जाए।

* संविदा सेवाएं आदि शामिल हैं तथा विप्रेषण सुविधाएं, लॉकर सुविधाएं आदि जैसी सेवाएं शामिल नहीं हैं।

संबद्ध पार्टियों के नामों तथा बैंक के साथ उनके रिश्ते का निदर्शी प्रकटीकरण

1. मूल	ए लि.
2. अनुषंगी कंपनियां	बी लि. तथा सी लि.
3. सहयोगी	पी लि., क्यू लि. तथा आर लि.
4. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी	एल. लि.
5. मुख्य प्रबंधन कार्मिक	श्री एम तथा श्री एन
6. मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के रिश्तेदार	श्री डी तथा श्री ई

4.6 **लेखा मानक 21** - **समेकित वित्तीय विवरण(सीएफएस)**

बैंक, समेकित वित्तीय विवरणों पर `लेखे पर टिप्पणियां' में प्रकटीकरणों के संबंध में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सामान्य स्पष्टीकरणों का अनुसरण करें।

समेकित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने वाली मूल कंपनी सभी अनुषंगी कंपनियों - एएस-21 के अंतर्गत छोड़ने के लिए विशिष्ट रूप से अनुमत कंपनियों को छोड़कर, देशी तथा विदेशी कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समेकित करेगी। किसी अनुषंगी कंपनी का समेकन न किये जाने के कारण समेकित वित्तीय विवरण में प्रकट किये जाने चाहिए। किसी विशिष्ट कंपनी को समेकन में शामिल करना है अथवा नहीं, इस पर निर्णय लेने का दायित्व मूल कंपनी के प्रबंध तंत्र का होगा। यदि, उस कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक की यह राय है कि जिस कंपनी को समेकित करना आवश्यक था उसे छोड़ दिया गया है, तो इस संबंध में वे अपने अभिमत टिप्पणियाँ "लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट" में शामिल करें।

4.7 लेखा मानक 22 - **आय पर करों के संबंध में लेखांकन**

यह मानक आय पर करों के संबंध में लेखांकन के लिए लागू किया जाता है। इसमें लेखा अवधि के संबंध में आय पर करों से संबंधित व्यय अथवा बचत की राशि का निर्धारण तथा वित्तीय विवरणों में ऐसी राशि का प्रकटीकरण शामिल है । एएस 22 को अपनाने से बैंकों की लेखा बहियों में या तो आस्थगित कर आस्ति (डीटीए) अथवा आस्थगित कर देयता (डीटीएल) का निर्माण हो सकता है तथा डीटीए अथवा डीटीएल के निर्माण से कुछ ऐसे मुद्दे उत्पन्न होंगे जिनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना तथा लाभांश घोषित करने की बैंक की क्षमता पर असर पड़ेगा । इस संबंध में निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :

(क) लेखा मानक 22 को लागू करने के पहले दिन राजस्व आरक्षित निधियों के अथशेष में अथवा चालू वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे डालकर निर्माण की गयी डीटीएल को तुलन पत्र में

अनुसूची 5 - `अन्य देयताएं तथा प्रावधान' की मद (vi) `अन्य (प्रावधानों सहित)' के अंतर्गत शामिल किया जाए। डीटीएल खाते में जमा शेष, पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन से टियर I अथवा टियर II पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा क्योंकि वह पूंजी की पात्र मद नहीं है।

(ख) लेखा मानक 22 को लागू करने के पहले दिन राजस्व आरक्षित निधि के अथशेष में जमा करके अथवा चालू वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा में जमा करके निर्माण की गयी डीटीए को तुलन पत्र में अनुसूची 11 `अन्य आस्तियां' की मद (vi) `अन्य' में शामिल किया जाए।

(ग) निम्नलिखित रीति से डीटीए की गणना करने के बाद उसे टीयर I पूंजी से घटाया जाए :

i) संचित हानि से संबद्ध डीटीए; तथा

ii) डीटीए (संचित हानि से संबद्ध डीटीए को छोड़कर), जिसमें से डीटीएल को घटाया गया हो। जहां डीटीएल डीटीए (संचित हानि से संबद्ध डीटीए को छोड़कर) से अधिक हो, वहां अतिरिक्त राशि को न तो मद (i) से समायोजित किया जाएगा और न टीयर I पूंजी में जोड़ा जाएगा।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत बैंकों द्वारा बनाए गए 'विशेष रिजर्व' पर पर डीटीएल बनाने के संबंध में (इसके बाद 'विशेष रिजर्व' कहां जाएगा) बैंकों को सूचित किया गया है कि सावधानीपरक मामले के रूप में ऐसे विशेष रिजर्व पर डीटीएल बनाया जाना चाहिए।

4.8 **लेखा मानक 23 - समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के लिए लेखांकन**

यह लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी कंपनियों में निवेशों के समूह की वित्तीय स्थिति तथा परिचालनगत परिणामों पर होनेवाले प्रभावों के निर्धारण के लिए सिद्धांतों तथा क्रियाविधियों को स्थापित करता है। कोई बैंक अपने अग्रिमों की चुकौती सुनिश्चित करने की दृष्टि से उधारकर्ता कंपनी में 20 प्रतिशत से अधिक मताधिकार अर्जित कर सकता है तथा वह यह सिद्ध कर सकता है कि उसके पास उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग करने की शक्तियां नहीं हैं क्योंकि उसके द्वारा प्रयुक्त अधिकार संरक्षी स्वरूप के हैं न कि सहभागी स्वरूप के। ऐसी परिस्थिति में इस लेखा मानक के अंतर्गत ऐसे निवेश सहयोगी कंपनी में निवेश के रूप में नहीं समझा जाए। अत: इसकी कसौटी केवल निवेश का परिमाण नहीं बल्कि उल्लेखनीय प्रभाव का प्रयोग करने के लिए शक्ति अर्जित करने का इरादा होना चाहिए।

4.9 लेखा मानक 24 - परिचालन समाप्त करना

उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलयन/बंद करने को परिचालन की समाप्ति न समझा जाए तथा इसलिए यह लेखा मानक उसी बैंक की अन्य शाखाओं में आस्तियों/देयताओं को अंतरित करके बैंकों की शाखाओं के विलयन/बंद किये जाने पर लागू नहीं होगा।
इस मानक के अंतर्गत प्रकटीकरण केवल तब आवश्यक होंगे जब :

क) परिचालन की समाप्ति के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा आस्तियों की प्राप्ति तथा देयताओं में कटौती हुई है अथवा
किसी परिचालन को समाप्त करने के निर्णय, जिससे उपर्युक्त प्रभाव होगा, को बैंक ने अंतिम रूप दिया है तथा

ख) समाप्त परिचालन अपनी संपूर्णता में महत्वपूर्ण है।

4.10 लेखा मानक 25 - अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग

सेबी के साथ विचार-विमर्श करके भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 17 मई 2001 के परिपत्र बैंपर्यवि. एआरएस सं. बीसी. 13/08.91.001/2000-01 द्वारा निर्धारित अर्ध वार्षिक समीक्षा के प्रकटीकरणों में एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से सभी बैंक (सूचीबद्ध तथा गैर-सूचीबद्ध दोनों) पर लागू किया गया है। बैंक 25 अक्तूबर 2001 का परिपत्र डीबीएस.एआरएस.सं.बीसी.4/08.91.001/2001-02 तथा 5 जून 2003 का परिपत्र डीबीएस.एआरएस.सं.बीसी.17/08.91.001/2002-03 देखें तथा इस प्रयोजन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित फॉर्मेट अपनाएं।

4.11 अन्य लेखा मानक

बैंकों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी विभिन्न लेखा मानकों के अंतर्गत निर्धारित प्रकटीकरण मानदंडों का अनुपालन करना आवश्यक है।

5. अतिरिक्त प्रकटीकरण

5.1 प्रावधान और आकस्मिकताएं

वित्तीय विवरणों को पठनीय बनाने के लिए तथा सभी प्रावधानों और आकस्मिकताओं के संबंध में सूचना एक जगह उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से अपेक्षित है कि वे `लेखे पर टिप्पणियां' में निम्नलिखित सूचना प्रकट करें :

(राशि करोड़ रुपये में)

लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत `प्रावधान और आकस्मिकताएं' के ब्यौरे	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
अनर्जक आस्ति हेतु प्रावधान		
आयकर हेतु किया गया प्रावधान		
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं (ब्योरे सहित)		

5.2 अस्थायी प्रावधान

बैंकों को तुलन पत्र में `लेखे पर टिप्पणियाँ' में निम्नलिखित के संबंध में अस्थायी प्रावधानों के बारे में व्यापक प्रकटीकरण करना चाहिए :

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में अथ शेष,		
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा,		
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गयी कमी की राशि		
(घ) अस्थायी प्रावधान खातें में इति शेष।		

टिप्पणी : लेखा वर्ष के दौरान आहरण द्वारा की गयी कमी के प्रयोजन का उल्लेख किया जाए।

5.3 आरक्षित निधि में कमी

आरक्षित निधि में कोई कमी **(ड्रा डाउन)** हुई हो तो उसका तुलनपत्र में `लेखे पर टिप्पणियां' में उपयुक्त प्रकटीकरण किया जाए।

5.4 शिकायतों का प्रकटीकरण

बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे अपने वित्तीय परिणामों के साथ निम्नलिखित के संक्षिप्त ब्यौरे प्रकट करें :

क. <u>ग्राहक शिकायतें</u>

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क)	वर्ष के प्रारंभ में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या		
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या		
(ग)	वर्ष के दौरान निवारण की गयी शिकायतों की संख्या		
(घ)	वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या		

ख. <u>बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णय</u>

		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(क)	वर्ष के प्रारंभ में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या		
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिये गये अधिनिर्णयों की संख्या		
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या		
(घ)	वर्ष के अंत में कार्यान्वित न किये गये अधिनिर्णयों की संख्या		

यह स्पष्ट किया जाता है कि बैंकों को उनके द्वारा जारी किए गए एटीएम कार्ड के संबंध में सभी ग्राहक शिकायतों को ऊपर विनिर्दिष्ट प्रकटीकरण फॉर्मेट में शामिल करना चाहिए। जहां कार्ड जारीकर्ता बैंक एटीएम से संबंधित ग्राहक शिकायतों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से प्राप्तकर्ता बैंक को जिम्मेदार ठहरा सकता है, वहां प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या में उसे शामिल करने के बाद एक टिप्पणी के रूप में उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए।

5.5 बैंकों द्वारा जारी आश्वासन पत्रों (लेटर ऑफ कम्फर्ट) का प्रकटीकरण

बैकों को अपने प्रकाशित वित्तीय विवरणों में `लेखे पर टिप्पणियों' के भाग के रूप में उनके द्वारा वर्ष के दौरान जारी सभी आश्वासन पत्रों का पूर्ण विवरण**,** उनका अनुमानित वित्तीय प्रभाव तथा उनके द्वारा अतीत में जारी तथा अभी भी बकाया आश्वासन पत्रों के अन्तर्गत उनके अनुमानित संचयी वित्तीय दायित्व का प्रकटीकरण करना चाहिए।

5.6 प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर)

तुलन पत्र के 'लेखे पर टिप्पणियों' में चालू और पिछले वर्ष के लिए कारोबार की समाप्ति पर पीसीआर **(**सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रावधानीकरण का अनुपात**)** प्रकट किया जाना चाहिए।

5.7 बीमा कारोबार

बैंकों को उनके द्वारा किये गये बीमा ब्रोकिंग, एजेंसी तथा बैंक एश्योरेंस कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क**/**ब्रोकरेज के ब्यौरे उनके तुलन पत्र में 'लेखे पर टिप्पणियों' के अंतर्गत प्रकट करने चाहिए। प्रकटीकरण चालू और पिछले वर्ष दोनों के लिए किए जाने चाहिए।

5.8 जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोज़रों और एनपीए का संकेंद्रण

5.8.1 जमाराशियों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशि		
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत		

5.8.2 अग्रिमों का संकेंद्रण *

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम		
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत		

* अग्रिमों की गणना एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर हमारे मास्टर परिपत्र के अंतर्गत डेरिवेटिव सहित क्रेडिट एक्सपोज़र की दी गई परिभाषा के अनुसार की जानी चाहिए।

5.8.3 एक्सपोज़र का संकेंद्रण**

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोज़र		
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोज़र की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति एक्सपोज़र का प्रतिशत		

** एक्सपोज़र की गणना एक्सपोज़र संबंधी मानदंडों पर के अंतर्गत निर्धारित ऋण और निवेश एक्सपोज़र के आधार पर की जानी चाहिए।

5.8.4 अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
चार शीर्षस्थ अनर्जक आस्ति खातों में कुल एक्सपोज़र		

5.9 क्षेत्रवार अग्रिम

(राशि करोड रुपए में)

क्रम संख्या	**क्षेत्र***	**चालू वर्ष**			**पिछला वर्ष**		
		कुल बकाया अग्रिम	**सकल एनपीए**	**संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**	**कुल बकाया अग्रिम**	**सकल एनपीए**	**संबंधित क्षेत्र के कुल अग्रिमों में सकल एनपीए का प्रतिशत**
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां						

2	औद्योगिक क्षेत्र को ऐसे अग्रिम जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के रूप में पात्र हैं						
3	सेवाएं						
4	वैयक्तिक ऋण						
	उप जोड (क)						
ख	गैर - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि और संबद्ध गतिविधियां						
2	उद्योग						
3	सेवाएं						
4	वैयक्तिक ऋण						
	उप जोड (ख)						
	जोड (क+ख)						

** बैंक ऐसे उप क्षेत्रों, जिनके बकाया अग्रिम उस क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं, के ब्यौरे भी उपर्युक्त फार्मेट में प्रकट करें। उदाहरण के लिए, यदि किसी बैंक के खनन उद्योग के बकाया अग्रिम उसके 'उद्योग' क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों के 10 प्रतिशत से अधिक हैं तो उसे उपर्युक्त फार्मेट में 'उद्योग' क्षेत्र के अंतर्गत खनन के बकाया अग्रिमों के ब्यौरे अलग से दर्शाने होंगे।*

5.10 अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
किसी वर्ष में **1** अप्रैल को सकल एनपीए[1] **(**आरंभिक शेष**)**		
वर्ष के दौरान वृद्धि **(**नये एनपीए**)**		
उप जोड़ **(क)**		
घटाएं		
(i) अपग्रेडेशन		
(ii) वसूली **(**अपग्रेड किये गये खातों से हुई वसूली को छोड़कर**)**		
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण राइट आफ[2]		
(iv) बट्टे खाते डालना (ऊपर **(iii)** में दिए गए राइट-आफ को छोड़ कर)		
उप जोड़ **(ख)**		
परवर्ती वर्ष के 31 मार्च को सकल एनपीए **(**इति शेष**) (क - ख)**		

[1] दिनांक 24 सितंबर 2009 का बैंपविवि. परिपत्र बीपी. बीसी. सं. 46/21.04.048/2009-10, जिसमें सकल अग्रिम, निवल अग्रिम, सकल एनपीए और निवल एनपीए की गणना करने के लिए एक समान पद्धति विनिर्दिष्ट की गई है, के अनुबंध में मद 2 के अनुसार सकल एनपीए*।

[2] तकनीकी या विवेकपूर्ण अवलेखन अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में तो बकाया हैं किंतु जिन्हें प्रधान कार्यालय के स्तर पर (पूर्ण या आंशिक रूप से) अपलिखित कर दिया गया है। तकनीकी अपलेखनों की राशि सांविधिक लेख-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। (अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज पर 1 दिसंबर 2009 के हमारे परिपत्र संदर्भ बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 64/21.04.048/2009-10 में परिभाषित)।

इसके अलावा, बैंकों को तकनीकी राइट-ऑफ के स्टॉक तथा उनसे की गई वसूलियों को निम्नलिखित फार्मेट के अनुसार प्रकट करना चाहिए:

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	**वर्तमान वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण रिटन-ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष		
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन		
उप-जोड़ (क)		
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले अपलिखित खातों से की गई वसूलियां (ख)		
31 मार्च (क-ख) को अंतिम शेष		

5.11 विदेश स्थित आस्तियां, एनपीए और राजस्व

(राशि करोड़ रुपये में**)**

विवरण	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
कुल आस्तियां		
कुल एनपीए		
कुल राजस्व		

5.12 प्रायोजित तुलनपत्रेतर एसपीवी

(**जिन्हें लेखांकन मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना चाहिए**)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
देशी	**विदेश स्थित**

5.13 अपरिशोधित पेंशन तथा उपदान (ग्रेच्युटी) देयताएं

पेंशन तथा उपदान **(**ग्रेच्युटी**)** देयता व्यय के परिशोधन के संबंध में अपनाई जाने वाली लेखांकन नीति का समुचित प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के 'लेखे पर टिप्पणियों' के अंतर्गत किया जाए।

5.14 पारिश्रमिक पर प्रकटीकरण

'पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/जोखिम लेने वाले तथा नियंत्रण कार्य से जुड़े स्टाफ आदि.. के लिए पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देशों' के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों (जहाँ तक उन पर लागू हो) को सूचित किया जाता है कि वे अपने 'लेखे पर टिप्पणियों' में निम्नलिखित सूचना प्रकट करें।

गुणात्मक प्रकटीकरण	(क)	पारिश्रमिक समिति के गठन और मैंडेट के संबंध में सूचना		
	(ख)	पारिश्रमिक प्रक्रिया के डिजाइन और संरचना तथा पारिश्रमिक नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य से संबंधित सूचना		
	(ग)	पारिश्रमिक प्रक्रिया में वर्तमान और भावी जोखिमों को किस प्रकार शामिल किया गया, इसका वर्णन । इसमें इन जोखिमों को पारिश्रमिक प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण मापों की प्रकृति और प्रकार का भी वर्णन होना चाहिए ।		
	(घ)	बैंक किसी कार्यनिष्पादन प्रक्रिया अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तर से किस प्रकार संबद्ध करना चाहता है - इसका वर्णन।		
	(ङ)	आस्थगित भुगतान पर बैंक की नीति तथा परिवर्तनशील पारिश्रमिक की वेस्टिंग पर चर्चा तथा वेस्टिंग के पहले और बाद में आस्थगित पारिश्रमिक को समायोजित करने के संबंध में बैंक की नीति और मानदंड पर चर्चा।		
	(च)	बैंक द्वारा प्रयुक्त परिवर्तनशील पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकार (अर्थात् नकदी, शेयर, इसोप और अन्य रूप) तथा इन प्रकारों का प्रयोग करने के पीछे तर्क ।		
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
संख्यात्मक प्रकटीकरण (संख्यात्मक प्रकटीकरण में केवल पूर्णकालिक निदेशकों /मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जोखिम लेने वाले अन्य कर्मचारियों को शामिल किया जाना चाहिए)	(छ)	पारिश्रमिक समिति द्वारा वित्त वर्ष के दौरान की गयी बैठकों की संख्या तथा उसके सदस्यों को अदा किया गया पारिश्रमिक		
	(ज)	(i) वित्त वर्ष के दौरान परिवर्तनशील पारिश्रमिक अवार्ड पाने वाले कर्मचारियों की संख्या। (ii) वित्त वर्ष के दौरान साइन-ऑन अवार्ड पाने वालों की संख्या और कुल राशि। (iii) कार्यग्रहण/साइन-ऑन बोनस के रूप में अदा किये गये गारंटीकृत बोनस के ब्योरे। (iv) उपचित लाभ के अतिरिक्त पृथक्करण वेतन के ब्योरे, यदि कोई हो।		
	(झ)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि तथा नकदी, शेयर, शेयर से जुड़े अन्य लिखत और अन्य रूपों में उस राशि का विभाजन।		

		(ii) वित्त वर्ष के दौरान अदा किये गये आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि।		
	(ञ)	वित्त वर्ष के दौरान पारिश्रमिक अवार्ड के ब्यौरे, जिसमें नियत, परिवर्तनशील, आस्थगित और अनास्थगित अंश दर्शाये जाएं।		
	(ट)	(i) बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि जो घटना के बाद व्यक्त और/या अव्यक्त समायोजन के अधीन है। (ii) वित्त वर्ष के दौरान घटना के बाद व्यक्त समायोजन के कारण की गयी कटौती की कुल राशि (iii) वित्त वर्ष के दौरान घटना के बाद अव्यक्त समायोजन के कारण की गयी कटौती की कुल राशि।		

निजी क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक अध्यक्ष के अलावा) को प्रतिफल संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों को भी उनके निदेशकों को किए गए पारिश्रमिक के भुगतान के लिए अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में कम से कम वार्षिक आधार पर प्रकटीकरण करने होंगे ।

5.15 प्रतिभूतिकरण के संबंध में प्रकटीकरण

ओरिजिनेटिंग बैंकों के 'लेखे पर टिप्पणियों' में बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों तथा तुलनपत्र की तिथि के अनुसार बैंक द्वारा धारित एक्सपोजरों की कुल राशि निर्दिष्ट होनी चाहिए ताकि न्यूनतम धारण अपेक्षा (एम आर आर) का अनुपालन हो। ये आंकड़े ओरिजिनटिंग बैंक द्वारा एसपीवी से प्राप्त सूचना पर आधारित होने चाहे, जिसे एसपीवी के लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो। ये प्रकटीकरण निम्नलिखित फॉर्मेट में किए जाने चाहिए।

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र. सं	**विवरण**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की सं.*		
2.	बैंक द्वारा प्रवर्तित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत अस्तियों की कुल राशि		
3.	तुलनपत्र की तारीख को एम आर आर के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा धारित एक्स्पोज़र की कुल राशि		

	क)	तुलन पत्रेतर एक्स्पोज़र			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
	ख)	तुलन पत्र में दर्शाया गया एक्स्पोज़र			
		प्रथम हानि			
		अन्य			
4.	एमआरआर को छोड़कर अन्य प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के प्रति एक्स्पोज़र की राशि				
	क)	तुलनपत्रेतर एक्स्पोज़र			
		i)	अपने प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	थर्ड पार्टी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
	ख)	तुलनपत्र में दर्शाया गया एक्सपोजर			
		i)	अपने प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र		
			प्रथम हानि		
			अन्य		
		ii)	थर्ड पार्टी प्रतिभूतीकरण के प्रति एक्स्पोज़र		
			प्रथम हानि		
			अन्य		

*केवल बकाया प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी के बारे में ही सूचना दी जाए।

5.16 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

सीडीएस के मूल्य-निर्धारण के लिए स्वामित्व मोडेल का प्रयोग करने वाले बैंक 'लेखे पर टिप्पणियों' में वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार स्वामित्व मोडेल मूल्य और मानक मोडेल मूल्य – दोनों प्रकट करें और एक मोडेल के बजाय दूसरे मोडेल के प्रयोग के औचित्य को भी स्पष्ट करें।

5.17 समूह के भीतर एक्सपोज़र

भारत में वित्तीय बाजारों के विकास के साथ ही बैंक अपने पूर्ण या आंशिक स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से अनुमत वित्तीय गतिविधियों में अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ाते रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप समूह की संस्थाओं में बैंक का एक्सपोजर बढ़ा है और आगे और भी बढ़ सकता है।

समूह की संस्थाओं के साथ अपने लेनदेनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को चालू वर्ष के साथ ही पिछले वर्ष के लिए तुलनात्मक आंकडों के साथ निम्नलिखित प्रकटीकरण करने चाहिए:

(क) समूह के भीतर एक्सपोजरों की कुल राशि

(ख) समूह के भीतर शीर्ष के 20 एक्सपोजरों की कुल राशि

(ग) बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के प्रति कुल एक्सपोजरों में समूह के भीतर एक्सपोजरों का प्रतिशत

(घ) समूह के भीतर एक्सपोजरों की सीमाओं का उल्लंघन करने और उस पर विनियामक कार्रवाई, यदि हो, का ब्योरा।

5.18 जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि (डीईएएफ) में अंतरण

ऐसी सभी अदावी देयताओं (जहां देय राशियां डीईएएफ को अंतरित की गई हैं) को वार्षिक वित्तीय विवरणों की अनुसूची 12 के अंतर्गत 'आकस्मिक देयता – अन्य, ऐसी मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है' के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रकटन नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार 'लेखे पर टिप्पणियों' के अंतर्गत करें।

*(*राशि करोड़ रुपये में*)*

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष		
जोड़ें: वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशियां		
घटाएं: : डीईएएफ द्वारा दावों के संबंध में प्रतिपूर्ति की राशियां		
डीईएएफ में अंतरित राशियों का अंतिम शेष		

5.19 **अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर**

बैंक सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण के भाग के रूप में मुद्रा प्रेरित ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए अपनी नीतियों को प्रकट करें। साथ ही बैंक इस जोखिम के लिए अपने पास रखे वृद्धिशील प्रावधानीकरण और पूंजी का भी खुलासा करें।

6. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

6.1 प्रकटीकरण का फॉर्मेट

बैंकों से अपेक्षित है कि वे 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष से अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत अपने एलसीआर पर सूचना के प्रकटीकरण की शुरुआत करें, जिसके लिए केवल 31 मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के लिए एलसीआर संबंधी सूचना दी जानी है। तथापि, उसके बाद के वार्षिक वित्तीय विवरणों में इस प्रकटीकरण में संबंधित वित्त वर्ष की सभी चार तिमाहियों को शामिल किया जाना चाहिए। प्रकटीकरण का फॉर्मेट नीचे दिया गया है।

एलसीआर प्रकटीकरण टेम्प्लेट

(राशि करोड़ रुपये में)

		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		कुल भार-रहित मूल्य[3](औसत)	**कुल भार मूल्य[4]**	**कुल भार-रहित मूल्य[3](औसत)**	**कुल भार मूल्य[4]**
उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां					
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए)				
नकद बहिर्प्रवाह					
2	खुदरा जमाराशियां तथा छोटे व्यवसायी ग्राहकों से जमाराशियां, जिनमें से:				
(i)	टिकाऊ जमाराशियां				
(ii)	कम टिकाऊ जमाराशियां				
3	गैर-जमानती थोक निधीयन, जिसमें से				

[3] जहां परिपत्र और एलसीआर टेम्प्लेट में अन्यथा उल्लिखित है, उसे छोड़ कर अभारित मूल्यों की गणना(अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों के लिए) 30 दिनों के भीतर परिपक्व या प्रतिदेय होने वाले बकाया शेषों के रूप में की जानी चाहिए।

[4] भारित मूल्यों की गणना संबंधित हेयरकट (एचक्यूएलए के लिए) या अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह दरें (अंतर्प्रवाहों और बहिर्प्रवाहों के लिए) लगाने के बाद की जानी चाहिए।

(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)				
(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार)				
(iii)	गैर-जमानती ऋण				
4	प्रतिभूत थोक निधीयन				
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से				
(i)	*व्युत्पन्नी एक्सपोजर से संबंधित बहिर्प्रवाह तथा अन्य संपार्श्विक अपेक्षाएं*				
(ii)	*ऋण उत्पादों के निधीयन की हानियों से संबंधित बहिर्प्रवाह ऋण और चलनिधि सुविधाएं*				
(iii)	*ऋण और चलनिधि सुविधाएं*				
6	अन्य संविदात्मक निधीयन दायित्व				
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व				
8	कुल नकद बहिर्प्रवाह				
नकद अंतर्प्रवाह					
9	जमानती ऋण देना (अर्थात् रिवर्स रेपो)				
10	पूर्णतः कार्यनिष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह				
11	अन्य नकद अंतर्प्रवाह				
12	**कुल नकद अंतर्प्रवाह**				

			कुल समायोजित[5] मूल्य		कुल समायोजित मूल्य
21	**कुल एचक्यूएलए**				
22	**कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह**				
23	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**				

नोट – आंकड़े केवल काले और भूरे खानों में प्रविष्ट किए जाने हैं।

डेटा को पिछली तिमाही के मासिक अवलोकनों के सरल औसतों के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए (अर्थात् औसत की गणना 90 दिन की अवधि में की जाए)। तथापि, 31 मार्च 2017 को समाप्त वित्त वर्ष से इस साधारण औसत की गणना दैनिक अवलोकनों पर की जाए। डेटा की अधिकांश मदों के लिए एलसीआर घटकों के अभारित और भारित, दोनों मूल्यों का प्रकटीकरण करना चाहिए, जैसा कि प्रकटीकरण फॉर्मेट में दिया गया है। अंतर्प्रवाहों तथा बहिर्प्रवाहों के अभारित मूल्य की गणना देयताओं की विभिन्न श्रेणियों या प्रकारों के बकाया शेष, तुलनपत्रेतर मदें या संविदात्मक प्राप्य राशियों के रूप में की जानी चाहिए। एचक्यूएलए के 'भारित' मूल्य की गणना हेयरकट लगाने के बाद मूल्य के रूप में की जानी चाहिए। कुल एचक्यूएलए तथा निवल नकद बहिर्प्रवाहों का प्रकटन समायोजित मूल्य के रूप में किया जाना चाहिए, जहां एचक्यूएलए का 'समायोजित' मूल्य हेयरकट तथा इस संरचना में बताई गई स्तर 2बी एवं स्तर 2 आस्तियों पर लागू किन्हीं अधिकतम सीमाओं, दोनों को लागू करने के बाद एचक्यूएलए के कुल मूल्य है। निवल नकद बहिर्प्रवाहों के समायोजित मूल्य की गणना अंतर्प्रवाहों पर अधिकतम सीमा, यदि लागू हो, लगाने के बाद की जाएगी।

6.2 एलसीआर के बारे में गुणात्मक प्रकटीकरण

ऊपर दिए गए फॉर्मेट द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरणों के अतिरिक्त बैंकों को एलसीआर के बारे में पर्याप्त गुणात्मक चर्चा भी उपलब्ध करानी चाहिए (अपने वार्षिक वित्तीय विवरण में 'लेखे पर टिप्पणियों' के अंतर्गत) ताकि उपलब्ध कराए गए परिणामों और डेटा को समझने में सुविधा हो। उदाहरणार्थ, जहां एलसीआर के लिए महत्वपूर्ण हो, बैंक निम्नलिखित पर चर्चा कर सकते हैं :

(क) उनके एलसीआर परिणामों के मुख्य चालक तथा लंबे समय के दौरान एलसीआर की गणना में इन्पुट्स के योगदान का विकास;

(ख) अंतर-अवधि परिवर्तन तथा लंबे समय में परिवर्तन;

(ग) एचक्यूएलए की बनावट;

(घ) निधीयन स्रोतों का संकेंद्रीकरण;

(ड.) व्युत्पन्नी एक्सपोजर और संभावित संपार्श्विक कॉल्स;

(च) एलसीआर में मुद्रा बेमेल;

[5] समायोजित मूल्यों की गणना (i) हेयरकट और अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह दरों तथा (ii) किन्हीं लागू अधिकतम सीमाओं (जैसे एचक्यूएलए के लिए स्तर 2बी और स्तर 2 आस्तियों पर अधिकतम सीमा तथा अंतर्प्रवाहों पर अधिकतम सीमा) लगाने के बाद की जानी चाहिए।

(छ) समूह की इकाइयों के बीच पारस्परिक क्रिया और चलनिधि प्रबंध के केंद्रीकरण की डिग्री मात्रा का वर्णन;

(ज) एलसीआर गणना में अन्य अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह, जिन्हें एलसीआर सामान्य टेम्पलेट में नहीं लिया गया है, किंतु संस्था अपनी चलनिधि प्रोफाइल के लिए प्रासंगिक समझती है।

अनुबंध

मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
1.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.91/सी.686-91	28 फरवरी 1991	सभी	लेखा नीतियां - बैंकों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता	2.1 तथा 2.3
2.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.59/21.04.048/ 97	21 मई 1997	1, 2, 3	बैंकों के तुलन पत्र - प्रकटीकरण	3.1(i)(iv)(v); 3.2. (1); 3.4.1 (i)
3.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/ 21.04.018 /98	27 जनवरी 1998	2	बैंकों के तुलन पत्र - प्रकटीकरण	3.1(ii)(iii) 3.5. (i) से (vi)
4.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.32/21.04.018/ 98	29 अप्रैल 1998	(ii) (क) (ख)	पूंजी पर्याप्तता - तुलनपत्रों में प्रकटीकरण	3.5 (i) से (vi)
5.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.9/21.04.018/99	10 फरवरी 1999	3, 4,	बैंकों के तुलन पत्र - जानकारी का प्रकटीकरण	3.4.1 (ii)(iii); 3.6
6.	एमपीडी. बीसी. 187/ 07.01.279/1999-2000	7 जुलाई 1999	1, अनुबंध 3(v)	वायदा दर करार /ब्याज दर स्वैप	3.3.1
7.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.164/21.04.048 /2000	24 अप्रैल 2000	3	पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन आदि पर विवेकपूर्ण मानदंड	3.4.5
8.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.27/21.04.137/ 2001	22 सितंबर 2001	6	मार्जिन जमा व्यापार के लिए बैंक वित्तपोषण	3.7.2(ix)
9.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 38/21.04.018 /2001-02	27 अक्तूबर 2001	2(i)(ii)	मौद्रिक तथा ऋण नीति उपाय-वर्ष 2001-02 के लिए मध्यावधि समीक्षा -तुलनपत्र प्रकटीकरण	3.2(2); 3.4.1 (iv)
10.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 84/21.04.018 /2001-	27 मार्च 2002	2	बैंकों का तुलन पत्र - जानकारी का प्रकटीकरण	3.2 (2)

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
	02				
11.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.71/21.04.103/ 2002-03	19 फरवरी 2003	अनुबंध 24 (क)(ख)	भारत में कार्यरत बैंकों द्वारा देश विशेष को ऋण देने में निहित जोखिम के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	3.7.3
12.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 72/ 21.04.18/ 2001-02	25 फरवरी 2003	16	समेकित पर्यवेक्षण की सहायता के लिए समेकित लेखा तथा अन्य मात्रात्मक पद्धतियों के लिए दिशानिर्देश	4.6
13.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.89/21.04.018/ 2002-03	29 मार्च 2003	4.3.2,5.1, 6.3.1, 7.3.2, 8.3.1	बैंकों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन पर दिशानिर्देश	4.1 से 4.5; 4.8,4.10
14.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.96/21.04.048/ 2002-03	23 अप्रैल 2003	1, अनुबंध 6	एससी/आरसी(सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्मित) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री तथा संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश	3.4.3
15.	आइडीएमसी. एमएसआरडी. 4801/ 06.01.03/ 2002-03	03 जून 2003	4(x)	एक्स्चेंज में लेनदेन वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्ज पर दिशानिर्देश	3.3.2
16.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.44/21.04.141/ 2003-04	12 नवंबर 2003	परिशिष्ट 11 (4)	सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में बैंकों के निवेश पर विवेकपूर्ण मानदंड	3.2.2
17.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.82/21.04.018/ 2003-04	30 अप्रैल 2004	4.3.2	बैंकों द्वारा लेखा मानको के अनुपालन पर दिशानिर्देश	4.9
18.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.100/21.03.054/ 2003-04	21 जून 2004	2(v)	वर्ष 2004-05 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य - बैंकों द्वारा ऋण आदि जोखिम की विवेकपूर्ण सीमाएं	3.7.4
19.	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 49/21.04.018/2004-05	19 अक्तूबर 2004	5	प्रकटीकरण के माध्यम से बैंकों के मामलों में पारदर्शिता में वृद्धि	3.8

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
20.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.72/21.04.018/ 2004-05	03 मार्च 2005	अनुबंध	डेरिवेटिव्ज में जोखिम निवेश पर प्रकटीकरण	3.3.3
21.	डीबीएस. सीओ. पीपी. बीसी. 21/11.01.005/ 2004-05	29 ज्ûन 2005	2. (क) (ख)	स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश	3.7.1
22.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 16/ 21.04.8/ 2005-06	13 जुलाई 2005	7	खरीदी / बेची गयी अनर्जक आस्तियों के संबंध में दिशा-निर्देश	3.4.4
23.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.86/21.04.018/ 2005-06	29 मई 2006	3	तुलन पत्रों में प्रकटीकरण -प्रावधान और आकस्मिकताएं	5.1
24.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.89/21.04.048/ 2005-06	22 जून 2006	2.(iv)	अस्थायी प्रावधानों के निर्माण और उपयोग के सबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	5.2
25.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.31/21.04.018/ 2005	20 सितंबर 2006	3.(iii)	बैंककारी विनियमन अधिनियिम, 1949 की धारा 17(2)-आरक्षित निधि से विनियोग	5.3
26.	बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 47/13.07.05/ 2006-07	15 दिसंबर 2006	2.1	पूंजी बाज़ार को बैंकों का एक्सपोजर - मानकों को युक्तिसंगत बनाना	3.7.2
27.	बैंपविवि. सं. एलईजी. बीसी.60/09.07.005/ 2006-07	22 फरवरी 2007	3.	शिकायतों का विश्लेषण और प्रकटीकरण-वित्तीय परिणामों सहित शिकायतों का प्रकटीकरण/कार्यान्वित न किये गये बैंकिंग लोकपाल के अधिनिर्णय	5.4
28.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.81/21.04.018/2006-07	18 अप्रैल 2007	4	दिशानिर्देश - लेखा मानक 17 (खंड रिपोर्टिंग) - प्रकटीकरणों में वृद्धि	4.4
29.	बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी. 90/20.06.001/2006-07	27 अप्रैल 2007	10	नये पूंजी पर्याप्तता ढाँचे का कार्यान्वयन	

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
30.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.65/21.04.009/2007-08	4 मार्च 2008	2(iv)	बैंकों द्वारा अपनी सहायक कम्पनियों के संबंध में आश्वासन पत्र जारी करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	5.5
31.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.37/21.04.132/2008-09	27 अगस्त 2008	अनुबंध 3	बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	3.4.2
32.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.124/21.04.132/2008-09	17 अप्रैल 2009	अनुबंध	अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	3.4.2
33.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.125/21.04.048/2008-09	17 अप्रैल 2009	2	बेजमानती अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	3.7.5
34.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.64/21.04.048/2009-10	1 दिसंबर 2009	5	वर्ष 2009-10 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा	5.6
35.	बैंपविवि.सं. एफएसडी. बीसी.67/24.01.001/2009-10	7 जनवरी 2010	2	तुलन पत्र में प्रकटीकरण - बैंक एश्योरेंस कारोबार	5.7
36.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.79/ 21.04.018/2009-10	15 मार्च 2010	अनुबंध	लेखे पर टिप्पणियों में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण	5.8, 5.10, 5.11, 5.12
37.	आइडीएमडी/4135/ 11.08.43/ 2009-10	23 मार्च 2010	9	रिपो रिवर्स रिपो लेनदेनों के लेखांकन के लिए दिशानिर्देश	3.2.1
38.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.34/21.04.141/ 2010-11	6 अगस्त 2010	3	परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री	3.2.3
39.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 56/21.04.141/2010-11	1 नवंबर 2010	1	परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों की बिक्री	3.2.3
40.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.80/ 21.04.018/2010-11	9 फरवरी 2011	4	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए पेंशन का विकल्प पुन:खोलना तथा उपदान (ग्रेच्युटी)	5.13

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
				सीमाओं में वृद्धि - विवेकपूर्ण विनियामक व्यवहार	
41.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.72/29.67.001/2011-12	13 जनवरी 2012	ख.3.2	पूर्ण कालिक निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी / जोखिम और नियंत्रण आदि से जुड़े स्टाफ के पारिश्रमिक के संबंध में दिशानिर्देश	5.14
42.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी-103 /21.04.177 /2011-12	7 मई 2012	1.6.2	प्रतिभूतीकरण लेनदेन संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन	5.15
43.	आईडीएमडी.पीसीडी.सं. 5053 /14.03.04/2010-11	23 मई 2011	2.14.3	कार्पोरेट बाडों के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप संबंधी दिशानिर्देश	5.16
44.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी 80/21.04.132/2012-13	31 जनवरी 2013	अनुबंध	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्रचित अग्रिमों के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाएं	3.4.2
45.	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी 49/21.04.018/2013-14	03 सितंबर 2013	2	ग्राहक शिकायतों तथा एटीएम लेनदेनों के मिलान न किए गए शेषों का प्रकटीकरण	5.4
46.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 77/21.04.018/ 2013-14	20 दिसम्बर 2013	4 (क)	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अतर्गत बनाए गए विशेष रिजर्व पर आस्थगित कर देयता	4.7
47.	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी.85/21.06.200/ 2013-14	15 जनवरी 2014	8	अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं	5.19
48.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.06.102 /2013-14	11 फरवरी 2014	अनुबंध पैरा 8	समूह के भीतर लेनदेन और एक्सपोजरों के प्रबंधन पर दिशानिर्देश	5.17
49.	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी.	26	5.6	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त	3.7.2

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
	97/21.04.132/2013-14	फरवरी 2014		आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देश	
50.	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी.98/21.04.132/ 2013-14	26 फरवरी 2014	3.4 8.3	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय	3.4.3(क) 5.10
51.	मेलबॉक्स स्पष्टीकरण	21 मार्च 2014	-	परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में धारित निवेशों की बिक्री	3.2.3 (घ)
52.	बैंपविवि.सं.डीईएएफ कक्ष.बीसी.114 /30.01.002/2013-14	27 मई 2014	8	जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता निधि योजना, 2014 - बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 26 क - परिचालन संबंधी दिशानिर्देश	5.18
53.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.120/21.04.098/ 2013-14	9 जून 2014	अनुबंध पैरा 9	चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन तथा एलसीआर प्रकटीकरण मानक	6
54.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.121/21.04.018/ 2013-14	18 जून 2014	अनुबंध पैरा 2	क्षेत्रवार अग्रिमों का प्रकटीकरण	5.9
55.	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.42/ 21.04.141 /2014-15	7 अक्तूबर 2014	पैरा 4	चतुर्थ द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 - परिपक्वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर धारिता	3.2.3(घ)
56.	मेल बाक्स स्पष्टीकरण	15	-	परिपक्वता तक धारित	3.2.3(घ)

क्र. सं.	परिपत्र सं.	तारीख	परिपत्र का संगत पैरा सं.	विषय	मास्टर परिपत्र की पैरा सं.
		दिसंबर 2014		श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर धारिता	
57.	बैविवि.सं.एफएसडी.बीसी.62/ 24.01.018/2014-15	15 जनवरी 2015	अनुबंध, पैरा 6 (ख)	बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश	5.7
58.	एफएमआरडी.डीआईआरडी. 03/14.03.002/2014-15	3 फरवरी 2015	पैरा 13	कार्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों में रिपो (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2015	3.2.1
59.	बैविवि.सं.बीपी.बीसी.75/21.04.048/2014-15	11 मार्च 2015	पैरा 3	प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) पुनर्निर्माण कंपनी / (आरसी) को वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर दिशानिर्देश और संबंधित मुद्दे	3.4.3 (क)
60.	बैविवि.सं.बीपी.बीसी.78/21.04.048/2014-15	20 मार्च 2015	पैरा 2	प्रतिभूतीकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी को वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर दिशानिर्देश और संबंधित मुद्दे	3.4.3 (ख)
61.	बैविवि.सं.बीपी.बीसी.94/21.04.048/2014-15	21 मई 2015	-	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - घाटे को विभाजित करना (स्प्रेड ओवर)	3.4.3 (क)
62.	बैंविवि.सं.बीसी.97/29.67.001/2014-15	1 जून 2015	पैरा 4	निजी क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिफल पर दिशानिर्देश	5.14
63.	बैविवि.बीपी.बीसी. सं. 101 /21.04.132/2014-15	8 जून 2015	पैरा 7	रणनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना	3.7.2